

मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय-वल्लभ भवन-भोपाल-462004

// आदेश //

दिनांक 23/05/2019

एफ-31-09/2016/सत्ताईस-एक - इस विभाग के आदेश क्रमांक 1444/2675/2018 /सत्ताईस-एक दिनांक 08/05/2019 द्वारा श्री विनोद सेमवाल, सेवानिवृत्त (भा.प्र.से.) को शिकायत निवारण प्राधिकरण (नर्मदा संकुल परियोजनाएँ) में संविदा पर सदस्य (प्रशासनिक) के पद पर नियुक्त किया गया है।

2/ राज्य शासन एतद द्वारा श्री विनोद सेमवाल को अपने कार्य के साथ-साथ शिकायत निवारण प्राधिकरण (नर्मदा संकुल परियोजनाएँ) के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार आगामी आदेश तक सौंपता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(प्रतिभा ढोरे)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग

पृ० क्रमांक एफ-31-09/2016/सत्ताईस-एक

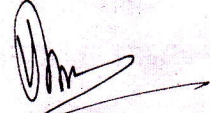
भोपाल दिनांक 23/05/2019

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, शिकायत निवारण प्राधिकरण, (नर्मदा संकुल) भोपाल।
2. अध्यक्ष, शिकायत निवारण प्राधिकरण, सरदार सरोवर परियोजना, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन / वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
7. संचालक (प्रशासन/पुनर्वास) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
8. समस्त सदस्य, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
9. आयुक्त (पुन/फील्ड) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदौर।
10. सचिव, शिकायत निवारण प्राधिकरण, सरदार सरोवर परियोजना/शिकायत निवारण प्राधिकरण इंदिरा सागर एवं ओंकारेश्वर परियोजना (नर्मदा संकुल) भोपाल।

निरंतर.....2.....

11. मुख्य सूचना अधिकारी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
कृपया उक्त आदेश को वेबसाईट पर दर्ज करने का कष्ट करें।
 12. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
 13. निज सचिव, माननीय मंत्री, नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल।
 14. निज सचिव, अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
 15. संबंधित श्री विनोद सेमवाल, सेवानिवृत्त (भा.प्र.से.) सदस्य (प्रशासनिक) शिकायत
निवारण प्राधिकरण (नर्मदा संकुल परियोजनाएँ) भोपाल।
 16. आर्डर बुक।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग